SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION

नीति संख्या 401

विषय सहकारी समिति जानकारी तक सदस्य की पहुँच

I. उद्देश्य

A. Sawnee Electric Membership Corporation ("सहकारी समिति") के सदस्यों को किसी प्रतिबंध या शर्त के बिना नियमित रूप से उपलब्ध जानकारी के प्रकारों को स्थापित करना;

B. सहकारी समिति के साथ अच्छे संबंध रखने वाले सदस्य के समुचित लिखित अनुरोध पर ही उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के प्रकारों को स्थापित करना;

C. ऐसी प्रकार की जानकारी को सहकारी समिति के सर्वोत्तम हित में स्थापित करना जिन्हें गोपनीय जानकारी के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए और इसलिए उन्हें सदस्यों को उपलब्ध न कराया जाए।

II. नीति

A. सामान्य

1. सहकारी समिति का निदेशक मंडल ("मंडल") विशेषाधिकार प्राप्त, गोपनीय या स्वामित्व संबंधी जानकारी की उचित रूप से सुरक्षा करते हुए सहकारी समिति के सदस्यों को सहकारी समिति के संचालनों और वित्तीय स्थिति के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित रखने का प्रयास करेगा।

2. इस उद्देश्य के लिए, सहकारी समिति निम्नलिखित सहित विभिन्न तरीकों से नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराएगी: अपने समाचार पत्र, वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनलों, Georgia Public Service Commission के यहाँ दर्ज सार्वजनिक फाइलिंग, सहकारी समिति कार्यालयों और उसके कर्मचारियों के माध्यम से उपलब्ध जानकारी तथा सदस्यों के साथ आयोजित बैठकों में प्रस्तुत रिपोर्टों के माध्यम से।

B. <u>सार्वजनिक रूप से प्रकट जानकारी</u>

1. इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए, सहकारी समिति, निम्नलिखित जानकारी की प्रतियाँ इसमें किए गए उल्लेख के अनुसार और मुफ्त उपलब्ध कराएगी:

a. सहकारी समिति के संस्थापन संबंधी लेख, उपनियम, दरें, प्रभार और शुल्क, सेवा नियम और विनियम, और वार्षिक रिपोर्टें;

b. विद्युत ऊर्जा के कुशल या सुरक्षित उपयोग, सहकारी समिति के ऊर्जा की खपत और संरक्षण कार्यक्रमों, आदि के संबंध में सामान्य वितरण के लिए सहकारी समिति का कोई भी प्रकाशन;

c. सहकारी समिति की वर्तमान लेखांकन अवधि के लिए पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की गैर लेखा-परीक्षित समेकित प्रचालन संबंधी जानकारी जिसे मंडल द्वारा जारी किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया है;

d. सहकारी समिति के पिछले तीन (3) वित्तीय वर्षों की, वर्ष के अंत में लेखा-परीक्षित परिचालन और अन्य वित्तीय रिपोर्टें जो नियमित रूप से ग्रामीण उपयोगिता सेवा (RUS), आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) और/या राष्ट्रीय ग्रामीण उपयोगिता सहकारी समिति वित्त निगम (NRUCFC) के समक्ष पेश की जाती हैं;

e. सहकारी समिति के स्वतंत्र लेखा-परीक्षक(कों) द्वारा समय-समय पर भेजी जाने वाली औपचारिक वित्तीय लेखा-परीक्षा रिपोर्टें;

f. अनुरोध करने से दस (10) वर्ष पहले आयोजित किसी वार्षिक या जिला सदस्य बैठक का कार्यवृत्त।

C. <u>संरक्षित जानकारी</u>

1. नीचे निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अधीन, निम्नलिखित जानकारी को संरक्षित माना जाएगा और इसे केवल सहकारी समिति में अच्छी छवि रखने वाले सदस्यों को, और केवल संलग्न फॉर्म पर ऐसे सदस्य के लिखित अनुरोध पर और इसमें सूचीबद्ध अन्य प्रतिबंधों के अनुरूप उपलब्ध कराया जा सकता है:

a. मंडल की किसी भी पिछली बैठक का नियमित कार्यवृत्त;

b. प्रबंधन द्वारा मंडल के समक्ष प्रस्तुत सहकारी समिति की मासिक या विशेष प्रचालन और वित्त संबंधी अन्य रिपोर्टें;

c. सहकारी समिति के सदस्यों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर और ईमेल पते। सदस्य की निजता की रक्षा करने का प्रयास करते हुए, इस डेटा पर अतिरिक्त प्रतिबंध और/या सीमाएं लागू की जा सकती हैं; और

d. सदस्य के हित से प्रासंगिक सहकारी समिति संबंधी अन्य जानकारी।

D. <u>जानकारी पर प्रतिबंध</u>

1. संरक्षित जानकारी तक पहुँच को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है:

a. यदि अनुरोध गैर-कानूनी उद्देश्य से किया गया प्रतीत हो, यदि सहकारी समिति में सदस्य की छवि अच्छी न हो; या

b. सदस्य संलग्न किए गए ‘जानकारी के लिए अनुरोध प्रपत्र’ को भरने, उस पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने तथा उसमें उल्लिखित आश्वासन और अभ्यावेदन देने में विफल रहता है या अस्वीकार करता है; या

c. यदि अनुरोध किसी ऐसे उद्देश्य के लिए हो जो तर्कसंगत रूप से सहकारी समिति के कार्य से संबंधित न हो; या

d. यदि अनुरोध किसी अनुचित उद्देश्य से, या केवल जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किया गया हो, या सहकारी समिति के वैध हितों के विरुद्ध हो, या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया हो जो सदस्य के हितों से उचित रूप से सुसंगत न हो; या

e. यदि सदस्य ऐसी जानकारी के अपने उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला समझौता इस प्रकार के कानूनसम्मत तरीके से सम्पन्न करने से अस्वीकार करता है जो सहकारी समिति, इसके सदस्यों या कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक हो; या

f. यदि माँगी गई जानकारी की प्रकृति इस प्रकार की हो कि यदि यह प्रकट हो जाए, तो इस प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होगा, व्यापार के रहस्यों के संबंध में तीसरे पक्ष के साथ किए गए किसी भी

समझौते का उल्लंघन होगा, या सहकारी समिति की तीसरे पक्षों के साथ बातचीत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

g. यदि माँगी गई जानकारी की प्रकृति इस प्रकार की हो कि यदि यह प्रकट हो जाए, तो इस प्रकटीकरण से सहकारी समिति पर ऐसी जानकारी की जाँच करने की माँग करने वाले सदस्य के संभावित प्रतिस्पर्धी हित के अनुपात से कहीं अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

h. यदि माँगी गई जानकारी की प्रकृति इस प्रकार की हो कि यदि यह प्रकट हो जाए, तो इस प्रकटीकरण से सहकारी समिति और इसके वकीलों के बीच गोपनीय संचार-संप्रेषण के विशेष अधिकार का उल्लंघन होगा; या

i. यदि सहकारी समिति के संबंध में माँगी गई जानकारी व्यापार के रहस्यों या विशेष अधिकार प्राप्त, गोपनीय या स्वामित्व संबंधी किसी अन्य जानकारी से संबंधित हो।

2. सहकारी समिति इस नीति के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकट की गई जानकारी के अनधिकृत प्रकाशन के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी देयता को अस्वीकार करती है और इसके अंतर्गत प्रदान की गई किसी भी जानकारी को वापस ले सकती है। इसके अलावा, किसी भी अनुरोधकर्ता पक्ष से अपेक्षा की जा सकती है कि वह उपलब्ध कराई गई जानकारी के उसके उपयोग की मियाद समाप्त हो जाने पर इस जानकारी को लौटा दे।

E. <u>अनुरोध करने का तरीका</u>

1. यहाँ ऊपर ‘संरक्षित जानकारी’ के रूप में सूचीबद्ध जानकारी का अनुरोध:

a. सहकारी समिति की कार्यकारी समिति तथा अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ("CEO") को संबोधित संलग्न ‘जानकारी के लिए अनुरोध प्रपत्र’ का उपयोग करते हुए, लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा (प्रदर्श "A" देखें)।

b. अनुरोध में स्पष्ट रूप से बताई गई जानकारी की आवश्यकता को व्यक्त करना होगा।

F. <u>अनुरोध की समीक्षा</u>

1. मंडल की कार्यकारी समिति, एक तर्कसंगत समयावधि, जो तीस (30) दिनों से अधिक नहीं होगी, के भीतर अनुरोध की समीक्षा करेगी और विचार करने के बाद, CEO को निदेश दे सकती है कि समिति द्वारा अनुरोधकर्ता पक्ष को दी जाने वाली अनुसूची के अनुसार और एक ऐसे प्रारूप में जिसे वह स्वीकार्य मानती है, जानकारी प्रदान करे, यदि वह यह निर्धारित करती है कि जानकारी ऐसा वास्तविक अनुरोध है जो इस नीति द्वारा स्थापित मानदंडों को पूरा करता है।

2. अन्यथा, मंडल की कार्यकारी समिति अनुरोध को विचार और कार्रवाई करने के लिए पूर्ण मंडल को भेज सकती है। मंडल ऐसे अनुरोध का पूरी तरह से मूल्याँकन करने और उस पर विचार करने के लिए उतना समय ले सकता है जितना वह आवश्यक समझता है।

G. <u>स्वयं की जानकारी के लिए अनुरोध</u>

1. सहकारी समिति के सदस्य द्वारा उसकी अपनी सहकारी समिति के सदस्य की जानकारी जारी करने का अनुरोध किए जाने पर, सदस्य को सहकारी समिति के समक्ष तर्कसंगत और विशिष्ट जानकारी प्रदान करके अपनी पहचान प्रदर्शित करनी होगी।

2. इस तर्कसंगत और विशिष्ट जानकारी में सहकारी समिति की खाता संख्या, सदस्य की संख्या, प्रतिकृति हस्ताक्षर, या इन चीज़ों का संयोजन शामिल हो सकता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

3. सहकारी समिति के सदस्य की पहचान की पुष्टि होने के बाद, सदस्य सहकारी समिति को निदेश दे सकता है कि वह संलग्न 'सदस्य जानकारी जारी करने हेतु प्राधिकार का प्रपत्र' भरकर और जमा करने के द्वारा कंपनियों और/या व्यक्तियों को विशिष्ट और आवश्यक सहकारी समिति की सदस्य जानकारी जारी करे (प्रदर्श "B" देखें)।

H. <u>प्रदान करने का खर्च</u>

1. सहकारी समिति, उचित कारणों के आधार पर, स्वयं के द्वारा अनुरोधकर्ता पक्ष को दी गई अनुसूची के अनुसार, तथा अपने द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऊपर पैरा II.A में सूचीबद्ध मदों के साथ-साथ किसी अन्य मद की सही और सटीक प्रतिलिपियाँ

मुफ्त उपलब्ध कराएगी, जिसमें सहकारी समिति के पूर्ण विवेक से, प्रतिलिपि बनाने या प्रेषित करने की न्यूनतम लागत शामिल होगी।

2. सदस्य माँगी गई जानकारी की प्रतिलिपि बनाने या अन्यथा प्रेषित करने के सभी खर्च वहन करेगा। इस प्रकार प्रतिलिपि बनाने और/या प्रेषित करने का कार्य सहकारी समिति द्वारा यथा निर्धारित रूप में किया जाएगा।

I. <u>संबद्ध पक्ष</u>

1. इसमें उल्लिखित किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सहकारी समिति को अपने एजेंटों और संबद्ध पक्षों को जानकारी प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है, जब तक कि सहकारी समिति के पूर्ण विवेक से, इस जानकारी का प्रदान किया जाना सहकारी समिति के प्रचालन से जुड़ी गतिविधियों से प्रासंगिक हो।

III. <u>उत्तरदायित्व</u>

A. इस नीति को प्रशासित करने का उत्तरदायित्व CEO का होगा। यहाँ किए गए उल्लेख के अनुसार, CEO ऊपर पैराग्राफ II.B में सूचीबद्ध जानकारी के अनुरोधों की रिपोर्ट मंडल की कार्यकारी समिति को देगा।

B. कार्यकारी समिति का उत्तरदायित्व होगा कि वह विशेष अधिकार वाली जानकारी के अनुरोधों की समीक्षा करे तथा अपने विवेक के अनुसार, या तो अनुरोध पर कार्रवाई करे या अनुरोध को विचार के लिए पूर्ण मंडल के समक्ष प्रस्तुत करे।

C. मंडल के प्रत्येक सदस्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस नीति के किसी भी उल्लंघन को पूर्ण मंडल के समक्ष चर्चा के लिए कार्यकारी समिति के ध्यान में लाए।

अपनाया गया:	15 मार्च, 1984		
संशोधित:	18 अक्तूबर, 1990		
	18 अप्रैल, 1991		
	19 सितंबर, 1991		
	16 अप्रैल, 1992		
	21 जुलाई, 1994	लागू:	21 जुलाई, 1994
	17 दिसंबर, 1998		1 जनवरी, 1999
	18 मार्च, 2004		1 मई, 2004
	18 मई, 2006		19 मई, 2006
	15 नवंबर, 2007		15 नवंबर, 2007
	16 सिंतबर, 2010		17 सितंबर, 2010
	18 अगस्त, 2011		1 अक्तूबर, 2011
	20 अप्रैल, 2017		20 अप्रैल, 2017
	20 अगस्त, 2020		21 अगस्त, 2020
	18 अगस्त, 2022		19 अगस्त, 2022
	20 अप्रैल, 2023		21 अप्रैल, 2023

SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION

प्रदर्श "A"

<u>जानकारी के लिए अनुरोध</u>

सेवा में: Sawnee Electric Membership Corporation
की कार्यकारी समिति तथा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
P. O. Box 266
543 Atlanta Road
Cumming, Georgia 30028

सज्जनो:

Sawnee Electric Membership Corporation की नीतियों के अनुसार, मैं Sawnee Electric Membership Corporation ("सहकारी समिति") की कुछ विशेष पुस्तकों, रिकॉर्डों और जानकारी की जाँच एवं निरीक्षण करने का अपना अनुरोध इसके द्वारा प्रस्तुत करता हूँ तथा आश्वासन देता हूँ, प्रस्तुत और प्रमाणित करता हूँ कि:

1. सहकारी समिति में सदस्य के रूप में मेरी अच्छी छवि है। सहकारी समिति के रिकॉर्डों में मेरा पूरा नाम, पता, टेलीफोन नंबर और सदस्य की खाता संख्या निम्नानुसार है:

____
(नाम)

____
(पता) (नगर) (राज्य) (ज़िप)

____
(टेलीफोन नंबर) (सहकारी समिति खाता संख्या)

2. वह सहकारी समिति जानकारी इस प्रकार है जिसकी मैं जाँच और निरीक्षण करना चाहता हूँ:

____

____

____

____

3. वह उद्देश्य इस प्रकार है जिसके लिए इस जानकारी की जाँच और निरीक्षण करना चाहता हूँ:

____

____

____

____

4. यह जाँच और निरीक्षण ऐसे उद्देश्य के लिए हैं जो सहकारी समिति के व्यवसाय से तर्कसंगत रूप से संबद्ध है।

5. मैं समझता हूँ कि जानकारी के लिए यह अनुरोध निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है:

    A. जिस जानकारी की जाँच करने का अनुरोध किया गया है, यदि उसकी प्रकृति इस प्रकार की है कि इस जाँच और निरीक्षण से:

        1) किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन होगा, व्यापार के रहस्यों के संबंध में तीसरे पक्ष के साथ किए गए किसी भी समझौते का उल्लंघन होगा, या तीसरे पक्षों के साथ सहकारी समिति की बातचीत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

        2) सहकारी समिति पर ऐसी जानकारी की जाँच करने की माँग करने वाले सदस्य के संभावित प्रतिस्पर्धी हित के अनुपात से अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

        3) सहकारी समिति और इसके वकील के बीच गोपनीय संचार-प्रेषण के विशेष अधिकार का उल्लंघन होगा।

    B. यदि जाँच और निरीक्षण का अनुरोध किसी अनुचित उद्देश्य से या मात्र जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किया गया हो, या अन्यथा सहकारी समिति के वैध हितों के प्रतिकूल हो या इस प्रकार सदस्य के हितों से उचित रूप से सुसंगत न हो।

    C. यदि निरीक्षण किए जाने के अनुरोध वाली सहकारी समिति संबंधी जानकारी व्यापार के रहस्यों या ऐसी अन्य जानकारी से संबंधित हो जो विशेष अधिकार प्राप्त, गोपनीय या स्वामित्व संबंधी हो।

6. मैं सहकारी समिति के सदस्यों की किसी भी सूची को बेचने या बेचने की पेशकश करने का इरादा नहीं रखता हूँ और मैंने पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, इस तरह के उद्देश्य के लिए सदस्यों की किसी भी सूची को प्राप्त करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं की है या उसे उकसाया नहीं है और मैं अब भी सहायता करने या उकसाने का इरादा नहीं रखता हूँ तथा अनुरोध किए जाने पर उक्त मदों को लौटाने के लिए सहमत हूँ।

7. मैं अपने द्वारा जाँच और निरीक्षण की गई सहकारी समिति संबंधी जानकारी का उपयोग ऊपर उल्लिखित उद्देश्य से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करूँगा।

8. यदि सहकारी समिति के विवेक के अनुसार, प्रतिलिपि बनाने या प्रेषित करने के इस कार्य में न्यूनतम से अधिक खर्च शामिल होगा तो मैं अनुरोध की गई जानकारी की प्रतिलिपियाँ बनाने और/या प्रेषित करने के खर्च के लिए सहकारी समिति को प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हूँ। मैं इस पर भी सहमत हूँ कि माँगी गई जानकारी की प्रतिलिपि बनाने और प्रेषण करने संबंधी ऐसा कोई भी कार्य सहकारी समिति के परिसर में, सहकारी समिति द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार और सहकारी समिति को स्वीकार्य डेटा प्रारूप में किया जाएगा जिसमें सहकारी समिति के एक या उससे अधिक कर्मचारी या उसके वकील, वस्तुओं को हिरासत में रखते हुए प्रतिलिपि बनाने या प्रेषण की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहेंगे।

(हस्ताक्षर)

(स्पष्ट नाम)

_______________, 2____ के इस ___ दिन प्रस्तुत और सत्यापित किया गया।

(नोटरी)

(मोहर)

SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION

प्रदर्श "B"

<u>सदस्य की जानकारी जारी करने के लिए प्राधिकार</u>

मैं, ___________________________________, SAWNEE ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION ("सहकारी समिति") का सदस्य सहकारी समिति को इसके द्वारा निम्न के उद्देश्य से या निम्न से संबंधित उल्लिखित जानकारी ____ को जारी करने के लिए अधिकृत करता हूँ।

____

____

सदस्य संख्या ___________________ और/या *खाता संख्या: ____________________ ____________________

____________________ ____________________

*अतिरिक्त खाता संख्याएं अलग कवर के अंतर्गत संलग्न की जा सकती हैं

अनुरोध की गई जानकारी इन्हें भेजें: ____ मेल ☐ ईमेल ☐ के माध्यम से

पता ____

(स्ट्रीट)

____

(नगर) (राज्य) (ज़िप)

__________________________________ ____

(टेलीफोन नंबर) (ईमेल पता)

अनुरोध की गई जानकारी (विशिष्ट तारीखें, आवश्यक डेटा, आदि) ____

____

____

____

<u>व्यक्ति के लिए</u>	<u>व्यक्ति और अन्यथा के लिए</u>
हस्ताक्षर: _________________________________	हस्ताक्षर: ____
(सदस्य)	(अधिकृत हस्ताक्षर)
_________________________________	____
(स्पष्ट नाम)	(स्पष्ट नाम) (टाइटल)

_______________, 20____ के इस ___ दिन प्रस्तुत और सत्यापित किया गया।

____

(नोटरी)

(मोहर)